तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
01/05/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार उपस्थित। पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस में प्रकट तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/—रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी व प्रार्थी की भूमि से लगे हुए सभी पड़ोसी खातेदारों को सूचना—पत्र जारी करते हुए उनकी उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा बांगेडाघाटा पटवार हल्का बांगेडाघाटा तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित खाता संख्या 551 की आराजी नंबर 1025 रकबा 0.8700 हैक्ट0, आराजी नंबर 1043 रकबा 0.8700 हैक्ट0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.7400 हैक्ट0 भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल [illegible] दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी [illegible] किये करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की [illegible] पत्थरगढ़ी जाने की पालना रिपोर्ट [illegible] से हुक्मनामा/आदेश सरे इज[illegible] कम्प्युटरराईज्ड करा शा.फा. किया गया जिसकी [illegible] तहसीलदार निम्बाहेड़ा को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली [illegible]ल शुमार होकर नंबर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा	No-objection 8

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.30 15:57:58 IST
Reason: SelfAttested